

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....राजस्थान हाईकोर्ट मुकाम.....बायत.....

.....हुसैन.....बनाम.....बेसाराम चौधरी.....

किस्म मुकदमा.....राजस्थान हाईकोर्ट.....नं.....49/20.....सन्.....2020.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>03/3/2020</p> <p>11/03/2020</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>वि.पी.एस. शर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। बिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मान तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/3/2020</u> की पेश हो।</p> <p><u>वि.पी.एस. शर्मा</u> सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/बिप्रार्थी/प्रतिवादी के नोटिस तामील बुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बिप्रार्थी/प्रतिवादी बायत तामिल अनुपस्थित/अप्राधान्य समग्र तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन आवाज 5:45 PM पर लगाई गई बिप्रार्थी/प्रतिवादी स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। बिप्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एडतरफा कार्यवाही समल में लाई जाली है। फल: पत्रावली वाले वदस दिनांक 10/03/2020 की पेश है।</p> <p><u>वि.पी.एस. शर्मा</u> 11.3.2020</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>	



18/03/2020

प्रार्थी वहील उपस्थित। विधायिका जयपुर  
 प्रार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट बरसा (उमरा)  
 जब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी  
 व विधायिका के प्यालेसी खेल लेना लेना  
 साथे हुए ही प्रार्थी व विधायिका के खेलों के  
 बिच जो पुरानी माठे व उगे साथे उरये जो  
 वर्तमान के अधिवक्ता की वजह से विचार जमे ही  
 जिस बाबा प्रार्थी को अपने सेना का लक्षी जान  
 नही हो पा रहा है। इसलिए प्रार्थी व विधायिका  
 के मध्य खेल के लेना को लेना हमेशा लनाजा बना  
 रहला है। इसलिए प्रार्थी को अपने प्यालेसी खेल की  
 नियमवन्नी इरवाना कावरेपड है। इसलिए प्रार्थी का नियम-  
 वन्नी कावेदन स्वीकार किया जाइए नियमवन्नी कावेदा  
 किया जावे।

कतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी  
 का नियमवन्नी कावेदन स्वीकार किया जाइए लष्ट-  
 सीलगात बापदु को इमिशन व सम्बन्धित शुभमिलेव  
 निरिभुत को सहायुत इमिशन निरिभुत किया जाइए  
 कावेदा किया जाता है कि काय स्वयं मा अपने  
 अधिनस्थ किया है शुभ सहायुत इमिशन से प्रार्थी  
 के प्यालेसी खेलों की पन्नी नियमवन्नी मोडे पर  
 इमिशन वुलुत जमा इराइए इरे। पालना रिपोर्ट प्रस्त  
 होने पर शामिल यमावली है। यमावली प्रेमल  
 गुमार डोइए इजि नम्बर से इस ही शामिल  
 दस्तार है।

*(Signature)*

18.3.2020

सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 316

दिनांक:- 10/03/2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हड्डमान पुत्र पुरखाराम जाति जाट  
निवासी चवानाडा (कोसरिया) तहसील बायतु  
जिला बाड़मेर

1. केसाराम पुत्र चेनाराम वगैरा निवासी  
चवा नाडा (कोसरिया) तहसील बायतु  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 49/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवानाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 388/60, 60 रकबा 0.8980, 2.4270 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

दिनांक:-

क्रमांक / वाद / 2020 / 317 to

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हड्डमान
4. विप्रार्थीगण श्री केसाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा।

विश्वनाथ  
18/3/2020  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

विश्वनाथ  
18/3/2020  
उपखण्ड अधिकारी बायतु